कॉलोनियों के दुकानदारों ने खुद गिराई शटर

सीलिंग की कार्रवाई के दूसरे दिन नगर निगम अमले को अधिकतर जगह नहीं मिला सील करने का मौका

25 क्षेत्रों में 61 दुकानें सील, दो दिन में 170 सील

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 1 सितंबर. राजधानी में आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन मंगलवार सुबह 9 बजे से शुरू हो गई. शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर 61 दुकानें सील की गई. इस दौरान अधिकतर व्यापारियों ने निगम के अमले को देखकर स्वयं ही शटर डाल दिए.

दो दिन में 170 प्रतिष्ठानों को बंद किया जा चुका है. मंगलवार को अरेरा कॉलोनी को इस कार्रवाई से दूर रखा. यहां पर सभी प्रतिष्ठान खुले रहे है. बुधवार को शाहपुरा, अरेरा कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों में सीलिंग की कार्रवाई होगी.

अभियान की शुरुआत बैरागढ़ क्षेत्र के चंचल रोड से हुई. चंचल रोड के बाद सीहोर नाका, गांधी नगर और सीटीओ क्षेत्र, कोहेफिजा, सिंधी कॉलोनी और कबाड़खाना, जेके रोड, दुर्गेश विहार, करोंद और सुभाष नगर, जवाहर चौक, न्यू एमपी एमएलए कॉलोनी, कोटरा, नेहरु नगर, जहांगीराबाद शादी हॉल और कर्बला रोड क्षेत्र, शाहजहांनाबाद क्षेत्र के इकबाल मैदान सीलिंग की कार्रवाई की.

विवाद के बाद अमला वापस

नगर निगम का सीलिंग अमला जब जोन 17 और 20 में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने पहुंचा तो वहां पर कुछ व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया. जब विवाद अधिक बढ़ गया तो फिर निगम अमले को बिना कार्रवाई के वापस आना पड़ा. कोहेफिजा क्षेत्र की वीआईपी रोड स्थित चाय लीला रेस्टोरेंट के सामने भी नगर निगम की टीम और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया. करोंद क्षेत्र में भी नगर निगम की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच विवाद और झड़प की स्थिति बनी.

विरोध में उतरे व्यापारी, न्यू मार्केट में व्यापक प्रदर्शन

न्यू मार्केट में मंगलवार को शहर के व्यापारियों ने सीलिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की. यह प्रदर्शन दोपहर लगभग 12 बजे से मुख्य मार्ग पर किया गया. प्रदर्शन लगभग तीन घंटे तक चलता रहा. सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ धीरे-धीरे चलते हुए रोशनपुरा चौराहे तक पहुंच गई और वहां नारेबाजी प्रदर्शन कर चक्काजाम किया.

इस प्रदर्शन में शहर के लगभग 100 से अधिक व्यापारी संगठन शामिल हुए. दूसरी ओर उप नगर बैरागढ़ में भी व्यापारियों ने सभी दुकानें बंद रखीं क्योंकि सुबह 9 बजे से नगर निगम का अमला पुलिस बल के साथ प्रतिष्ठनों को बंद कराने पहुंच गया था. उसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने प्रदर्शन किया. सभी ने नगर निगम की सीलिंग का विरोध किया और सरकार मास्टर प्लान को जल्द लागू करने की मांग की.

व्यापारियों ने रखे प्रतिष्ठान बंद

प्रदर्शन में शहर के कोटरा, नेहरु नगर, जवाहर चौक, अरेरा कॉलोनी, पुराना शहर, बैरागढ़ लालघाटी, गौमत नगर, रचना नगर, कोहेफिजा, करोंद डीआईजी बंगला सहित अधिकतर क्षेत्रों के व्यापारी शामिल हुए. आवासीय कॉलानी में व्यवसाय कर रहे लोगों ने मंगलवार को अधिकतर प्रतिष्ठान बंद रखे, क्योंकि सभी व्यापारी प्रदर्शन के लिए न्यू मार्केट में आ गए थे. भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने बताया कि प्रदर्शन में पांच हजार व्यापारी शामिल हुए.

व्यापारी संगठनों ने कहा-मास्टर प्लान जल्द लागू हो

सीलिंग की कार्रवाई शीघ्र बंद की जाए. 12 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि भारत के सारे राज्यों की विकास योजना एक सी नहीं है. राज्य सरकार चाहे तो अपने यहां पर कोई विकास योजना या अन्य ड्राफ्ट लाकर वहां के लोगों को सुविधा दे सकती है. सरकार को चाहिए कि शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तावित भूमि विकास एक्ट 2012 संशोधन को लागू किया जाए, मास्टर प्लान 2031 को लागू किया जाए, गुजरात मॉडल 2022 को लागू किया जाए या मिक्स लैंड यूज लागू किया जाए.

आनंद सोनी, अध्यक्ष, व्यापारी महासंघ भोपाल

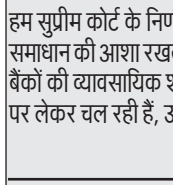

युवाओं को बेराजगार न बनाएं. सरकार को जल्द मास्टर प्लान लागू कर देना चाहिए. जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके और शहर का विकास व्यवस्थित हो सके.

सतीश गंगराड़े, व्यापारी संगठन संरक्षक

हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, राज्य शासन से उचित समाधान की आशा रखते हैं. प्रश्न यह भी है कि पूरे भोपाल में अधिकांश बैंकों की व्यावसायिक शाखाएं आवासीय भवनों में ग्राउंड फ्लोर किराए पर लेकर चल रही हैं, उनको कब सील किया जाएगा.

प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष, न्यू मार्केट व्यापारी संघ

नगर निगम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई ठीक नहीं है. इससे रोजगार पर असर पड़ेगा. सरकार को जल्द से जल्द मास्टर प्लान लाना चाहिए जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके. शहर का व्यवस्थित विकास हो सके.

रोहित मंघानी, अध्यक्ष, इंद्रपुरी व्यापारी संघ

प्रदर्शन के दौरान रास्ता बंद, जनता हुई परेशान

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वहां पर इस दौरान पुलिस ने दोनों तरफ से रास्ता बंद करते हुए बेरिकेट्स लगा दिया. जिससे जनता को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा. इसलिए डायवर्सन की जानकारी जनता को नहीं थी. जिससे दो पहिया और चार पहिया वाहन चालको को गलियों से निकलना पड़ा.

भीड़ में गिरने से कमला नगर टीआई घायल

रोशनपुरा के पास लगाए गए बैरिकेड तोड़कर व्यापारी सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे. इस दौरान पुलिस और व्यापारियों के बीच धक्का-मुक्की और झूमाझटकी भी हुई. प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान कमला नगर थाना प्रभारी निरीक्षक निरुपमा पांडेय गिर गईं. इसी दौरान लोहे की रॉड उनके पैर में लग गई, जिससे उन्हें चोट आई. पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें भीड़ से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

एफटीएल से पहले नहीं खोल सकेंगे भदभदा के गेट

भोज वेटलैंड, केरवा और कलियासोत का होगा अंतिम सीमांकन

एनजीटी का आदेश

नवभारत संवाददाता

भोपाल/ जबलपुर, 1 अगस्त. राजधानी में झीलों के पानी की निकासी को लेकर एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाते हुए शहर के तीनों डेमों के गेट खोलने को लेकर बड़ा निर्णय दिया है. यह निर्णय एनजीटी सेंट्रल जोन बेंच भोपाल की जबलपुर खंडपीड ने दिया है. आदेश में भोज वेटलैंड, केरवा और कलियासोत जलस्त्रोतों के संरक्षण व फुल टैंक लेवल (एफटीएल) के अंतिम निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.

एनजीटी ने सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करते हुए कहा कि इन जलस्त्रोतों के एफटीएल संबंधी विवाद का स्थायी समाधान किया जाए. न्यायमूर्ति एसके सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की युगलपीठ ने कहा कि किसी जलस्त्रोत को डैम या रिजर्वायर कहने मात्र से उसकी मूल पर्यावरणीय प्रकृति नहीं बदल जाती. जलस्त्रोतों का संरक्षण वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हित से जुड़ा है. भोज वेटलैंड का एफटीएल क्षेत्रफल 3, 946. 33 हेक्टेयर निर्धारित है, जिसमें अपर लेक का 3, 872.43 और लोअर लेक का 73. 90 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है. एनजीटी ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि पूर्ण जलस्तर की स्थिति प्राप्त होने तक वेटलैंड के गेट नहीं खोले जाएं. गठित समिति जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड ट्रुथिंग, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन सर्वे के माध्यम से सीमांकन का परीक्षण करेगी. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समिति की नोडल एजेंसी बनाया गया है. एनजीटी ने अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर भी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता बताई. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

अब कैचमेट की मूल सीमा निर्धारित होगी

शहर के तीनों तालाब के कैचमेंट को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है. कैचमेंट में रसूखदारों ने जमीन खरीदकर बड़े-बड़े भवन, मेरिज गार्डन, फार्म हाउस, स्कूल कॉलेजों का निर्माण कर लिया है. इन रसूखदारों के दबाव में प्रशासन सभी तालाबों को फुल होने से पहले ही पानी निकालने के लिए गेट खोल देता है. जिससे लगतार कैचमेंट में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है. एनजीटी के आदेश के बाद इन सभी निर्माणों पर तो गाज गिरेगी ही, साथ अगर एनजीटी के आदेश के अनुसार एफटीएल तक फाटक नहीं खोले गए तो तीनों तालाबों के पानी भरने की सीमा भी सामने आ जाएगी. उसके बाद प्रशासन उनको मूल रूप में लाने के प्रयास सफल हो जाएगा.

कैचमेंट में करीब 1100 निर्माण

विगत 35 वर्षों से कैचमेंट में अतिक्रमण रसूखदारों द्वारा किया जा रहा है, जो कभी बंद ही नहीं हुआ. इसके चलते तीनों तालाबों में निर्माण से उनका मूल रूप पूरी तरह से गायब हो गया. जानकारी अनुसार तीनों तालाबों के कैचमेंट में लगभग 1100 निर्माण किए जा चुके हैं. अगर फुल टेंक लेबल हो गया तो इन सभी निर्माणों पर प्रशासन की गाज गिर सकती है.

शराब की बोतल से डिलीवरी बॉय पर हमला

भोपाल. गौतम नगर इलाके में मामूली विवाद के बाद एक युवक ने फूड डिलीवरी बॉय पर शराब की बोतल फोड़कर जानलेवा हमला कर दिया. छोला मंदिर निवासी रोशन अहिरवार एक फूड कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है. वह रात में अपने दोस्तों के साथ गौतम नगर इलाके में जिम के पास पार्टी कर रहा था. इसी दौरान दीपक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दीपक रोशन के साथ गाली-गलौज करने लगा. दीपक ने शराब की बोतल जमीन पर फोड़ दी. टूटी हुई बोतल से रोशन की पीठ पर हमला कर दिया.

65 साल के दरिंदे ने किया रेप

6 साल की मासूम को दिया था चॉकलेट का झांसा

नवभारत न्यूज

भोपाल, 1 सितंबर. छोला मंदिर थाना क्षेत्र में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छह साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. आरोप एक 65 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी पर है. पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, मूलत: पिपलानी निवासी आरोपी नागा महतो का पीड़िता के मोहल्ले में दूसरा घर है. जिसे किराए पर दे रखा है. वह अक्सर छोला वाले में घर आता-जाता है. तीन दिन पहले वह बच्ची के पिता से मिलने उनके घर आया. बच्ची के पिता मजदूरी करते हैं. आरोप है कि रविवार रात नागा महतो ने बच्ची के पिता को शराब पिलाई. जब वह नशे में हो गए तो आरोपी बच्ची को चॉकलेट देने का झांसा देकर घर की छत पर ले गया. आरोप है कि छत पर आरोपी ने बच्ची के साथ गलत काम किया. घटना के बाद बच्ची रोते हुए मां के पास पहुंची. मां ने सुबह पति को आरोपी की करतूत बताई. इसके बाद पिता ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. आरोपी के बच्चे विदेश में रहते हैं.

आयुष्मान में गड़बड़ी पर दो अस्पताल योजना से बाहर

भोपाल, 1 सितंबर. आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को भोपाल के निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की है. योजना से दोनों को हटा दिया गया है. दोनों अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है.

कार्रवाई के दायरे में आनंद नगर स्थित मारुति मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल और सूखी सेवनिया बायपास चौराहा स्थित यशवी मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल शामिल हैं. विभाग ने अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जांच में एक मामले में ऐसे व्यक्ति के नाम पर आयुष्मान योजना का दावा किया गया, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी. वहीं दूसरे मामले में कब्ज से पीड़ित मरीज को आईसीयू में भर्ती दिखाकर उपचार का दावा किया गया. स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों के पुराने आयुष्मान दावों की भी जांच और लेखा-परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं. जांच के बाद ही सरकारी राशि के नुकसान की स्थिति स्पष्ट होगी.

रिश्वत लेते पकड़े गए दोनों इंजीनियर को जेल भेजा

भोपाल, 1 सितंबर. रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार भारत संचार निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता (विद्युत) अवनीश कुमार शुक्ला और अधीक्षण अभियंता (विद्युत) वी.बी. चक्रपाणि को विशेष सीबीआई अदालत ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत में यह कार्रवाई हुई.

मामला जबलपुर की एक निजी सुरक्षा एवं सुविधा सेवा कंपनी के 14 कार्यों के अटके भुगतान को मंजूरी देने के बदले रिश्वत मांगने से जुड़ा है. दोनों को 75-75 हजार रुपये, यानी कुल 1.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. रिमांड के दौरान सीबीआई ने भोपाल के साथ लखनऊ और कानपुर में भी आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे. जांच एजेंसी के मुताबिक, तलाशी में कथित बेनामी संपत्तियों और संदिग्ध बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. इनकी जांच से अवैध कमाई और संपत्तियों का ब्योरा सामने आने की उम्मीद है. मामले की वित्तीय जांच जारी है.

करोड़ों की जमीन कौड़ियों में नीलाम

02 अफसरों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई

कर्ज 8,775 रु., 10.31 एकड़ जमीन की नीलाम

नवभारत न्यूज

भोपाल, 1 सितंबर. महज 8,775 रुपये के कर्ज के बदले महिला किसान की 10.31 एकड़ जमीन नीलाम कर उसे सिर्फ 1 लाख 3 हजार रुपये में बेचने के मामले में अदालत ने दो अफसरों को दोषी ठहराया है.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के तत्कालीन विक्रय अधिकारी विजेंद्र कुमार कौशल और सहकारिता विभाग के तत्कालीन उप पंजीयक अशोक मिश्रा को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

मामला हुजूर तहसील के ग्राम चंदेरी छावनी का है. यहां की महिला किसान रिफाकत बी ने वर्ष 1974 में कुआं और पंप लगवाने के लिए बैंक से 8,775 रुपये का कर्ज लिया था. इसके बदले उन्होंने अपनी 10.31 एकड़ कृषि भूमि बैंक के पास बंधक रखी थी. बाद में बैंक और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर इस जमीन की नीलामी कर दी.

5 नवंबर 2004 को पूरी 10.31 एकड़ जमीन सौरभ मेटल प्राइवेट लिमिटेड को महज 1 लाख 3 हजार रुपये में बेच दी गई. जमीन की वास्तविक कीमत करोड़ों रुपये थी. महिला किसान की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ अभियोजन प्रस्तुत किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों, साक्ष्यों और तर्कों को महत्वपूर्ण माना.

जनसुनवाई में इंडोनेशिया से आई शिकायत

तहसीलदार से लेकर प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं फरियाद

09 साल पुराने रेरा आदेश के बाद नहीं मिली राशि

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 1 सितंबर. कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में एडीएम सुमित कुमार पांडे ने जनसुनवाई की. जिसमें भूमि पर कब्जा, पेंशन, मुआवजा, रेरा, घरेलू विवाद, नामांतरण, सीमांकन, शासकीय योजनाओं का लाभ सहित 131 शिकायती आवेदन आए.

शिकायतों को एडीएम सुमित पांडे, पीसी शाक्य और प्रकाश नायक ने सुना. उसके बाद संबंधित अधिकारी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए. इंडोनेशिया में रह रहे एनआरआई चंचल गुप्ता की लगभग नौ साल पुरानी रेरा कलेक्टर की जनसुनवाई तक पहुंच गई. चंचल गुप्ता ने शिकायत में बताया कि उन्होंने रेरा में विनायक ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रेरा में शिकायत की थी.

जिसका फैसला 28 दिसंबर 2017 हुआ था, जिसमें अतिरिक्त राशि लौटाने का आदेश दिया था. नौ वर्ष बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हो सका है. गुप्ता ने शिकायत में कहा है कि एनआरआई होने के कारण साल में केवल एक बार भारत आ पाते हैं. उन्होंने कलेक्टर और तहसीलदार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के साथ ही लगातार पत्राचार भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.

शर्मनाक बुजुर्ग महिला ने चार बेटों पर मारपीट करने का लगाया आरोप

शराब के लिए बेटों ने मां को किया बेघर

नवभारत न्यूज

भोपाल, 1 सितंबर. जिस उम्र में मां को अपने बच्चों के सहारे और सम्मान की जरूरत होती है, उसी उम्र में एक 65 वर्षीय महिला ने अपने ही बेटों पर उसे घर से निकालने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराना पड़ा. ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर की रहने वाली मुरली बाई का कहना है कि पति की मौत को 34 साल हो चुके हैं.

- बुजुर्ग ने बेटों पर दर्ज कराई एफआईआर
- 34 साल पहले हो गया था पति का निधन

जिंदगीभर परिवार संभालने के बाद अब बुढ़ापे में मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन ही उनका सहारा है. आरोप है कि उनके चार बेटे इसी पेंशन के पैसों से शराब पीने के लिए रुपये मांगते हैं.

मुरली बाई ने पुलिस को बताया कि उनके पांच बच्चे हैं. सबसे बड़ा बेटा रविप्रकाश उर्फ डल्लू सिलावट करीब 48 वर्ष का है. इसके अलावा बेटी दुर्गावती और बेटे राधेश्याम, चेन सिंह व लक्ष्मीनारायण हैं. बेटी शादी के बाद ससुराल में रहती है.

मुरली बाई के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ अब वह खुद मेहनत-मजदूरी करने की स्थिति में नहीं हैं. सरकार से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन से किसी तरह गुजारा करती हैं. उनका कहना है कि चारों बेटे उनका भरण-पोषण करने के बजाय पेंशन के रुपये शराब पीने के लिए मांगते हैं. इतना ही नहीं, उनसे मकान बेचकर शराब के लिए पैसे देने को भी कहा जाता है.

बुढ़ापे में सहारे की जगह थाने का रास्ता

मुरली बाई की शिकायत में सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पति की मृत्यु के बाद जिन बच्चों को उन्होंने अपने दम पर बड़ा किया, बुढ़ापे में उन्हीं से सहारे की उम्मीद कर रही थीं. लेकिन अब वह अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए थाने पहुंचने को मजबूर हैं. उन्होंने पुलिस से बेटों के खिलाफ कार्रवाई करने और सुरक्षा दिलाने की मांग की है.

विरोध किया तो गालियां, फिर मारपीट

मुरली बाई ने शिकायत में बताया कि 31 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे उनके बेटों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. इसके बाद उनके साथ गाली-गलौज की गई. मना किया तो बेटों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान मुरली बाई की मदद के लिए उनके भतीजे सुरेश यादव और उसकी पत्नी नीतू सिलावट मौके पर पहुंचे. दोनों ने बीच-बचाव किया.